

न्यायालय उपायुक्त, लोहरदगा।

अनुमति अपील वाद सं०- 7/2011-12

मुन्नी प्रसाद सिन्हा बनाम अरबिन्द उराँव व अन्य

आदेश


7/12/21
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवकोलन से प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक 22.10.2021 से दिनांक 9.12.2021 तक अनुपस्थित रहें हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्षों को इस वाद को जारी रखने में कोई अभिरुचि नहीं है।

उक्त के आलोक में इस वाद में आगे की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

उपायुक्त, लोहरदगा।



उपायुक्त, लोहरदगा।